यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ा संख्या– 120/2022
प्रस्तुति दिनांक–07.07.2022
यि दिनांक–18.12.2024

रामदेव पुत्र स्व. गोपाल जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
रामेश्वर पुत्र स्व. गोपाल जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
रामजीलाल पुत्र स्व. गोपाल जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

बंवरलाल पुत्र स्व. उद्दा जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
ालाराम पुत्र स्व. उद्दा जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
ामावतार पुत्र स्व. उद्दा जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
म पुत्री स्व. उद्दा जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
ीमा पुत्री स्व. उद्दा जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
ा पुत्री स्व. उद्दा जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
नभर बेवा स्व. उद्दा जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
नफूली पुत्री स्व. सुक्खा जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
ादी पुत्री केली पत्नि लालाराम जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक
ामकरण पुत्र स्व. कल्याण जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
नस्वरूप पुत्र स्व. कल्याण जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
नसहाय पुत्र स्व. कल्याण जाति खटीक निवासी ग्राम पांसरोटियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
प्पंजीयक अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)
हसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)
वक्ता वादीगण–श्री विवेक चौधरी
वक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 12–श्री छीतरलाल प्रजापत
वक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 10–श्री कमलेश कुमार गुर्जर एड0

दावा बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

न्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 ए व 188 राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र उनवानी रामदेव बनाम भंवरलाल वगै0 प्रकरण संख्या /2022 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 450, 545, 79, 87, 89, 90, 91, 92, 93 किता 09 कुल रकबा 3.1360 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 297, 298, 461, 462, 463, 464, 465, 471, 478 किता 09 कुल रकबा 1.7071 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम पांसरोटियां तथा आराजी ख0न0 322, 442 कुल किता 02 रकबा 2.4910 हैक्ट. वाके ग्राम मालीपुरा, पटवार हल्का पांसरोटियां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त त दोनो ग्रामो की आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है, जो जरिये सत उन्हे अपने पिता से प्राप्त हुई है। पूर्व में यह आराजीयात गोरू, छोटू व उद्दा के नाम दर्ज थी। जिसमें क का 1/3 हिस्सा था। छोटू व उसकी पत्नि बीला देवी के कोई संतान नही थी। जिसकी वजह से उन्होने भाई गोरू के पुत्र गोपाल को गोद लेकर अपना पुत्र बना लिया था ओर अपने पास रख लिया था। गोपाल ाण के पिता थे। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। पक्षकारान् के पूर्वज अनपढ़ थे। राजस्व रिकॉर्ड व कानून का किसी प्रकार का ज्ञान नही था। जिसकी वजह से छोटू की मृत्यु उपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में विरासत के तौर नकी पत्नि बीला देवी का नाम तथा बीला देवी की मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत का नामान्तकरण गोरू व के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया। जबकि छोटू व उसकी पत्नि बीला देवी के नाम दर्ज 1/3 की आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण अकेले गोपाल के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था ओर गोरू रासत में से गोपाल का नाम हटाया जाना चाहिए था। वर्तमान समय में पक्षकारान के बीच अपने हिस्सो को विवाद उत्पन्न हुआ और उनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकले निकलवायी तो उन्हे राजसव रिकॉर्ड में हुए र्ण अंकन की जानकारी हुई। वादग्रस्त आराजी जिसका विवरण वादपत्र के चरण संख्या 01 में अंकित है। हिस्सा 1/3 के अनुसार पक्षकारान् का कब्जा काश्त है। सुक्खा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 का 1/3 है। प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 कल्याण के वारिसान का हिस्सा 1/3 है एवं गोपाल के वारिसान ाल का हिस्सा 1/3 है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सो का गलत अंकन हो रखा है। बीला देवी की मृत्यु के त जो नामान्तकरण विरासत का दर्ज किया गया था। वह अवैध व शून्य है। इस कारण वादीगण को यह लेना व दुरूस्ती इन्द्राज का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं ग्राम मालीपुरा में स्थित खाते में उददा पुत्र ा की विरासत का अमल दरामद नही हुआ है। उद्दा के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 है। जिनका 1/3 है तथा ग्राम पांसरोटियां के दोनो खातो में भी सुक्खा के वारिसान का हिस्सा 1/3 है। वर्तमान ड रिकॉर्ड के दोनो ग्रामो के खातो में पक्षकारान् के हिस्सो का गलत इन्द्राज हो रखा है। जिसे दुरूस्त किया आवश्यक व न्यायसंगत है। आराजी ख0न0 450, 545, 79, 87, 89, 90, 91, 92, 93 कुल किता 09 कुल 3.1360 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 297, 298, 461, 462, 463, 464, 465, 471, 478 कुल किता 09 कुल 1.7071 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम पांसरोटियां में स्थित है। जिसमे सुक्खा के वारिसान में उद्दा के वारिसान दी संख्या 01 ता 07 को हिस्सा 1/9 व प्रतिवादी संख्या 08 को 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 09 को हिस्सा का तथा गोपाल के वारिसान वादीगण को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा का तथा कल्याण के वारिसान दी संख्या 10 ता 12 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वर्तमान

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

स्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे और उक्तानुसार हिस्सो का अंकन उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे। आराजी ख0न0 322, 442 कुल किता 02 कुल रकबा 2.4910 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम मालीपुरा में ता के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 को हिस्सा 1/3 का तथा गोपाल के वारिसान वादीगण को संयुक्त से हिस्सा 1/3 का तथा कल्याण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 का दार काश्तकार घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे और उक्तानुसार हिस्सो का न उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। उक्त वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त दारी में दर्ज है। जिसका विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। वर्तमान में पक्षकारान् बीच उक्त वर्णित जीयात के हिस्सो को लेकर मौके पर विवाद होने लगा है। इस कारण वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित जीयात का तकास्मा किया जाना भी आवश्यक हो गया है, राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के पश्चात ारान् के बीच दोनो गांयो ग्राम पांसरोटियां व मालीपुरा का विधिवत् विभाजन किया जाकर पृथक पृथक खाता न किया जावे। गोपाल के वारिसान वादीगण व सुक्खा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 व कल्याण के ान् प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 का वादग्रस्त आराजीयात में हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 है। जिसके अनुसार ही सान् अपने पूर्वजो के समय से ही आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, किन्तु अब हिस्सो के गलत होने से प्रतिवादीगण के मन मे बेईमानी आ गई है ओर वे अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर लडाई झगडा पर आमादा है। जिसे रोका जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी ज्ञा से पाबन्द किया जाना भी आवश्यक हैं वे वादीगण को हिस्सा 1/3 की आराजी के उपयोग उपभोग फसल बोने–जोने काटने में किसी प्रकार का कोई अवरोध कारित नही करे। वादीगण को उनके कब्जेशुदा 1/3 की आराजी से बेदखल नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 12 की ओर से तरलाल प्रजापत एड0 ने वकालतनामा मय जवाब दावा प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया की वादपत्र के संख्या 02 में वर्णित आराजीयात का संयुक्त खातेदार व कब्जे काश्त का होना तथा पक्षकारान् को जरिये ात प्राप्त होना स्वीकार है। पूर्व मे आराजीयात गोरू, छोटू व उद्दा के नाम दर्ज होना तथा प्रत्येक का 1/3 होना स्वीकार है। छोटू के कोई संतान नही होने के कारण अपने भाई गोरू के पुत्र गोपाल को गोद लिये का तथ्य स्वीकार है। वादीगण गोपाल के वारिस होना तथा गोपाल का स्वर्गवास होना प्रतिवादीगण स्वीकार है। छोटू की मृत्यु के उपरान्त जरिये विरासत उसकी पत्नि बिला देवी का नाम दर्ज किया जाना स्वीकार है। देवी की मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत के रूप में गोरू व सुक्खा का नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया उनके नाम 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए था और गोरू की विरासत से गोपाल का नाम हटाया तिवादीगण स्वीकार करते है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन को प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। विवादित ीयात में सुक्खा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 का हिस्सा है तथा कल्याण के वारिसान प्रतिवादी 10 ता 12 का 1/3 हिस्सा तथा गोपाल के वारिसान वादीगण का 1/3 हिस्सा है। हक सभी पक्षकारान् का 1/3, 1/3, 1/3 अनुसार कब्जा काश्त होना प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। ग्राम मालीपुरा में स्थित भूमि ि पुत्र सुक्खा की विरासत का अमल दरामद नही होने का तथ्य स्वीकार है। उद्दा के वारिसान

उप खण्ड अधिकारी
दीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

ादीगण संख्या 01 ता 09 का हिस्सा 1/3 है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में हो रखे गलत अंकन को दुरूस्त जाने हेतु प्रतिवादीगण सहमत है। अतः जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की वादपत्र के अन्त में वादीगण चाहे गये अनुतोष अ व ब अनुसार वाद वादीगण डिक्री किये जाने में प्रतिवादीगण सहमत हे। अनुतोष से ारान् के बीच राजीनामा हो जाने से प्रतिवादीगण स्वीकार नही करते है। साथ ही एक अन्य सहमति पत्र त कर निवेदन किया की हम भंवरलाल, लालाराम, रामअवतार पुत्रान स्व. उद्दा, रामकरण, रामस्वरूप, हाय पुत्रान् कल्याण, रामजीलाल, रामदेव, रामेश्वर पुत्रान् गोपाल समस्त जाति खटीक निवासी ग्राम ोटिया ने मिल बैठकर अपनी कृषि आराजीयात का राजीनामा कर लिया है। हमारी संयुक्त खातेदारी व कब्जे त की आराजीयात वाके ग्राम मालीपुरा व पांसरोटियां में स्थित है। दोनो गांवो की कुल जमीन 29 बीघा के ना है। जिसके हम हिस्सा 1/3 के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सो का गलत हो रखा है। परन्तु हम उद्दा के वारिसान कल्याण के वारिसान व गोपाल के वारिसान का हिस्सा है। इसी हिस्से के अनुसार हम जमीने अपने नाम लगवाने हेतु सहमत है। जिसमें किसी तरह की कोई अज्र ो नही हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य है। जब जमीने हिस्से 1/3 के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज करवा तब हम उक्त भूमि का बंटवारा भी अपनी सहमति के अनुसार मिल बैठकर करवायेगे। जिस व्यक्ति के जमीन ेस्सा पीछे की तरफ रहेगा। उसके आने जाने के लिए रास्ता रहेगा। हम सभी अपनी जमीन को आपसी ति के अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्त करवाकर जमीन का बंटवारा करेगे। एक दुसरे की जमीन काश्त को लेकर न नही करेगे। सब शान्ति से अपने हिस्से अनुसार काश्त करेगे। अतः सहमति पत्र हमने राजी खुशी से सोच कर पढ सुनकर तहरीर व तकमिल कर दिया है। जिससे हम सभी पक्षकार पाबन्द है और रिकॉर्ड में हिस्सो लत अंकन को सही कराने के लिए हम सभी तैयार व तत्पर है। जब कभी भी हमारी जरूरत होगी। हम सभी समय न्यायालय में उपस्थित होकर हिस्सो को दुरूस्त करवायेगे। किसी कारण वश कोई पक्षकार उपस्थित हो पाता है, तो वह इस सहमति पत्र के आधार पर हिस्सा दुरूस्त करवा सकेगा। जिसके लिए यह सहमति म पक्षकारान् के द्वारा लिखा जा रहा है, जो वक्त जरूरत काम आवे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन की भूमि आराजी ख0न0 450, 545, 79, 87, 89, 90, 91, 92, 93 कुल किता 09 कुल रकबा 3.1360 हैक्ट. व आराजी ख0न0 297, 298, 461, 462, 463, 464, 465, 471, 478 कुल किता 09 कुल रकबा 1.7071 हैक्ट. वाके ग्राम पांसरोटियां तथा आराजी ख0न0 322, 442 कुल किता 02 कुल रकबा 2.4910 हैक्ट. वाके ग्राम ेपुरा, पटवार हल्का पांसरोटियां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित दोनो ग्रामो की आराजीयात ारान् की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है, जो जरिये विरासत उन्हे अपने पिता से प्राप्त है। पूर्व में यह आराजीयात गोरू, छोटू व उद्दा के नाम दर्ज थी। जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था। छोटू व की पत्नि बीला देवी के कोई संतान नही थी। जिसकी वजह से उन्होने अपने भाई गोरू के पुत्र गोपाल को लेकर अपना पुत्र बना लिया था ओर अपने पास रख लिया था। गोपाल वादीगण के पिता थे। जिनका हो चुका है। पक्षकारान् के पूर्वज अनपढ़ थे। राजस्व रिकॉर्ड व कानून का उन्हे किसी प्रकार का ज्ञान था। जिसकी वजह से छोटू की मृत्यु उपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में विरासत के तोर पर उनकी पत्नि बीला देवी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

नाम तथा बीला देवी की मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत का नामान्तकरण गोरू व सुक्का के नाम बहिस्सा र दर्ज कर दिया गया। जबकि छोटू व उसकी पत्नि बीला देवी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा की आराजीयात का सत का नामान्तकरण अकेले गोपाल के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था और गोरू की विरासत में से गोपाल नाम हटाया जाना चाहिए। वर्तमान में हिस्सा 1/3 के अनुसार पक्षकारान् का कब्जा काश्त है। सुक्खा के सान प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 का हिस्सा 1/3 है। प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 कल्याण के वारिसान का ा 1/3 है एवं गोपाल के वारिसान वादीगण का हिस्सा 1/3 है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सो का गलत न हो रखा है। बीला देवी की मृत्यु के उपरान्त जो नामान्तकरण विरासत का दर्ज किया गया था। वह अवैध व है। ग्राम मालीपुरा में स्थित खाते में उददा पुत्र सुक्खा की विरासत का अमल दरामद नही हुआ है। आराजी 0 450, 545, 79, 87, 89, 90, 91, 92, 93 कुल किता 09 कुल रकबा 3.1360 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 298, 461, 462, 463, 464, 465, 471, 478 कुल किता 09 कुल रकबा 1.7071 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम ोटियां में स्थित है। जिसमे सुक्खा के वारिसान में उद्दा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 को हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 08 को 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 09 को 1/9 हिस्सा का तथा गोपाल के ान वादीगण को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा का तथा कल्याण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 को ा रूप से हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया और उक्तानुसार हिस्सो का अंकन उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। आराजी 0 322, 442 कुल किता 02 कुल रकबा 2.4910 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम मालीपुरा में उद्दा के वारिसान दी संख्या 01 ता 07 को हिस्सा 1/3 का तथा गोपाल के वारिसान वादीगण को संयुक्त रूप से हिस्सा का तथा कल्याण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 का खातेदार कार घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे और उक्तानुसार हिस्सो का अंकन वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया की वर्णित आराजीयात का संयुक्त खातेदार व कब्जे का होना तथा पक्षकारान् को जरिये विरासत प्राप्त होना स्वीकार है। पूर्व मे आराजीयात गोरू, छोटू व उद्दा ाम दर्ज होना तथा प्रत्येक का 1/3 हिस्सा होना स्वीकार है। छोटू के कोई संतान नही होने के कारण अपने गोरू के पुत्र गोपाल को गोद लिये जाने का तथ्य स्वीकार है। वादीगण गोपाल के वारिस होना तथा गोपाल स्वर्गवास होना प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। छोटू की मृत्यु के उपरान्त जरिये विरासत उसकी पत्नि बिला का नाम दर्ज किया जाना स्वीकार हे। बिला देवी की मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत के रूप में गोरू व सुक्खा ाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया जबकि उनके नाम 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए था और गोरू विरासत से गोपाल का नाम हटाया जाना प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन को ादीगण स्वीकार करते है। विवादित आराजीयात में सुक्खा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 का हिस्सा था कल्याण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 का 1/3 हिस्सा तथा गोपाल के वारिसान वादीगण का हिस्सा है। हक सभी पक्षकारान् का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 अनुसार कब्जा काश्त होना प्रतिवादीगण करते है। ग्राम मालीपुरा में स्थित भूमि में उद्दा पुत्र सुक्खा की विरासत का अमल दरामद नही होने का

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

स्वीकार है। उद्दा के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 का हिस्सा 1/3 है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड
रखे गलत अंकन को दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादीगण सहमत है। अतः जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन
वादपत्र के अन्त में वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष अ व ब अनुसार वाद वादीगण डिक्री किये जाने में
ादीगण सहमत है। अनुतोष से पक्षकारान् के बीच राजीनामा हो जाने से प्रतिवादीगण स्वीकार नही करते है।
ही एक अन्य सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की हम भंवरलाल, लालाराम, रामअवतार पुत्रान स्व.
रामकरण, रामस्वरूप, रामसहाय पुत्रान् कल्याण, रामजीलाल, रामदेव, रामेश्वर पुत्रान् गोपाल समस्त जाति
निवासी ग्राम पांसरोटिया ने मिल बैठकर अपनी कृषि आराजीयात का राजीनामा कर लिया है। हमारी
खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके ग्राम मालीपुरा व पांसरोटियां में स्थित है। दोनो गांवो की
जमीन 29 बीघा के लगभग है। जिसके हम हिस्सा 1/3 के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु
रिकॉर्ड में हिस्सो का अंकन गलत हो रखा है। परन्तु हम उद्दा के वारिसान कल्याण के वारिसान व
के वारिसान का हिस्सा 1/3 है। इसी हिस्से के अनुसार हम जमीने अपने नाम लगवाने हेतु सहमत है।
किसी तरह की कोई अज्र आपत्ति नही हैं।

पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त उनवानी प्रकरण में
ने कथन किया है की उक्त वर्णित दोनो ग्रामो की आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी व कब्जे
की आराजीयात है, जो जरिये विरासत उन्हे अपने पिता से प्राप्त हुई है। पूर्व में यह आराजीयात गोरू, छोटू
दा के नाम दर्ज थी। जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था। छोटू व उसकी पत्नि बीला देवी के कोई संतान
है। जिसकी वजह से उन्होने अपने भाई गोरू के पुत्र गोपाल को गोद लेकर अपना पुत्र बना लिया था ओर
पास रख लिया था। गोपाल वादीगण के पिता थे। इस कारण छोटू व उसकी पत्नि बीला देवी के नाम दर्ज
हिस्सा की आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण अकेले गोपाल के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था ओर
की विरासत में से गोपाल का नाम हटाया जाना चाहिए। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सो का गलत अंकन हो
है। बीला देवी की मृत्यु के उपरान्त जो नामान्तकरण विरासत का दर्ज किया गया था। वह अवैध व शून्य है।
मालीपुरा में स्थित खाते में उददा पुत्र सुक्खा की विरासत का अमल दरामद नही हुआ है। अतः आराजी
450, 545, 79, 87, 89, 90, 91, 92, 93 कुल किता 09 कुल रकबा 3.1360 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0
298, 461, 462, 463, 464, 465, 471, 478 कुल किता 09 कुल रकबा 1.7071 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम
टियां में उद्दा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 को हिस्सा 1/9 व प्रतिवादी संख्या 08 को 1/9
तथा प्रतिवादी संख्या 09 को 1/9 हिस्सा का तथा गोपाल के वारिसान वादीगण को संयुक्त रूप से 1/3
का तथा कल्याण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 का तथा भूमि
ख0न0 322, 442 कुल किता 02 कुल रकबा 2.4910 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम मालीपुरा में उद्दा के वारिसान
संख्या 01 ता 07 को हिस्सा 1/3 का तथा गोपाल के वारिसान वादीगण को संयुक्त रूप से हिस्सा
का तथा कल्याण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 का खातेदार
घोषित किये जाने हेतु निवदेन किया है। प्रतिवादीगण ने भी उक्तानुसार वाद वादीगण स्वीकार किया

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

र रिकॉर्ड दुरूस्त रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। उक्त विवेचनानुसार उभयपक्ष की ति के आधार वाद वादीगण डिक्री योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद गण मुताबिक वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाता है। लिहाजा उभयपक्षकारान् द्वारा वादीगण के पिता गोपाल गोरू को गोदपुत्र जाने से संबंधित कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे गोपाल पुत्र छोटू व उसकी पत्नि बीला के गोद गया हो अर्थात छोटू व बिला का दत्तक पुत्र हो। उक्त प्रकरण में राजस्व कारित होना स्पष्ट कारित होती है। अतः तहसीलदार पीपलू को निर्देशित किया जाता है की पक्षकारान् द्वारा प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा राजकोष किये जाने के उपरान्त मुताबिक निर्णय अनुसार पालना कर व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 रे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नुसार दफ्तर दाखिल हो।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner